

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शहोत्रायाम वनाम काना (नगरी)

किरम मुकदमा

पत्रावली 11-128

नं०

109

सन

2021

क्रमांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्ल आज

नाम्यर उ तारीख अहकाम जो हाल हुकम की तारीख में जारी हुए

8-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 7-9-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

7-9-21

उपपक्ष उपखण्ड अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर आकर / पत्रावली दिनांक 28-9-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

28-12-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग अधिपान 2021 के मा गृह पंचायत जिन्हास में पेश हुई, इच्छागीण के सम्मन बाद तालिम होकर जाफ्ट डट एंड बहरीलगाट माडल से स्थिति प्राप्त हुई जिले जा फा किया गया। पत्रावली का पत्र स्वीकार किया गया जाकर निर्णय हफ्त से लिखा जाकर जा फा किया गया। पत्रावली के लाल अक्षर होकर जावर ले कम हो।

डॉ. पूरुषोत्तम सेना  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के लाल अधिपान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

गोठसीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

संख्या :- 109/21 प्रा.पत्र

श्री बाधेश्याम सोबीस खुदाय निवासी-केरिया तहसील --प्राथी

बनाम

श्री कामा सो हजारी लाल निवासी-केरिया तहसील मांडल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 2-10-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम.....केरिया.....पटवार हल्का.....केरिया.....तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं.....2531.....कुल किता .....01.....  
 0.0253 हेक्टेयर.....स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी वा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्राथी अपने खाते खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।  
 प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....3-8-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को फनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का री है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....केरिया.....हल्का.....केरिया.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....2531.....कुल किता .....01.....रकबा.....0.0253 हेक्टेयर.....  
 चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । की किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....आलभास.....को .....400...../रकमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें । र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील के आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी मांडल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

पि:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल, भीलवाड़ा  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021